संख्या-338/2025/673/22-2-2023-17(1288)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 09 अप्रैल, 2025

विषय:- जिला कारागार, शाहजहाँपुर में निरुद्ध सिद्धदोष महिला बंदी आरती सिंह पुत्री श्री महेश सिंह, निवासी जनपद-शाहजहाँपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-1683/प्रोबे०-5-दया० बैठक-15.11.2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, शाहजहाँपुर में निरुद्ध सिद्धदोष महिला बंदी आरती सिंह पुत्री श्री महेश सिंह, निवासिनी-अहमदपुर निवाजपुर, थाना-रोजा, जनपद-शाहजहाँपुर द्वारा धनराशि 1,50,000/- रूपये उधार दिये गये थे। जिनको मांगने पर विवाद होने के कारण दिनांक 08.07.2016 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से फायर कर विशाल सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-391/2016 में भा०द०वि० की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, नवम अपर सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 11.01.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 02.08.2022 तक 06 वर्ष, 00 माह, 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष, 00 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- सिद्धदोष महिला बंदी आरती सिंह पुत्री श्री महेश सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। महिला बन्दी की उम्र 27 वर्ष एवं महिला बंदी द्वारा अपरिहार 06 वर्ष, 19 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 01 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, शाहजहाँपुर में निरुद्ध सिद्धदोष महिला बंदी आरती सिंह (बन्दी संख्या-26/2019) पुत्री श्री महेश सिंह, निवासी जनपद-शाहजहाँपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-338/2025/673(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, शाहजहाँपुर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।